न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 25/2022 (उदयपुर डिक्री)

डालशंकर पिता देवीलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता हरिराम जी ब्राहमण, निवासी चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. तुलसीराम पिता देवीलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. ईश्वरलाल पिता देवीलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री देवीलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मीराबाई पुत्री देवीलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटियाखेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक
07.07.2021 प्रकरण सं0 107/2017

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पुरूषोत्तम पुरी अभिभाषक रे. सं. 1
3– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 2
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 30–05–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काछबा में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 49 रकबा 0.0800 हैक्टर, आराजी नंबर 85 रकबा 0.0750 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1550 हैक्टर एवं आराजी नंबर 69 रकबा 0.[illegible]300 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का स[illegible] वाद पत्र की कलम संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:51 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार होकर मूलपुरूष जोतराम जी के तीन पुत्र भैरूलाल, हरिराम, खेमराज हुए। भैरूलाल के पुत्र प्रतिवादीगण तथा हरिराम का पुत्र वादी है। साबिक आराजी नंबर 27 जिसके हाल आराजी नंबर 49 है को वादी के पिता हरिराम ने अपने भाई भैरूलाल से दिनांक 03—03—1975 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की तब से उक्त आराजी का उपयोग—उपभोग वादी करता चला आ रहा है। वादी ने साबिक आराजी नंबर 93 व 108 जिसके हाल आराजी नंबर 95 एवं साबिक आराजी नंबर 27 जिसके हाल आराजी नंबर 49 है को जरिये ईकरार दिनांक 20—08—1979 से प्रतिवादीगण के दादा भैरूलाल से प्राप्त किया है, तब से उक्त आराजियात का मालिक स्वामी वादी होकर काबिज चला आ रहा है, किन्तु बन्दोबस्त के दौरान भैरूलाल ने मिलीभगत कर वादी के पिता का नाम उक्त आराजियात से हटवा दिया एवं मात्र भैरूलाल को खातेदार रखा, जबकि उनके द्वारा रजिस्टर्ड बिकाव अपना हिस्सा वादी के पक्ष में विक्रय कर दिया था एवं अब प्रतिवादीगण का उक्त सम्पत्ति से कोई सरोकार नहीं है। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटया जावे एवं उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 07—07—2021 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04—05—2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम पुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने ईकरार के आधार पर अपीलान्ट को बिना सूने डिक्री जारी कर दी, जबकि ईकरार के आधार पर डिक्री जारी करने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसलिए ऐसे शून्य आदेश की कोई मियाद नहीं होती। दिनांक 13—04—2022 को अपीलान्ट को डिक्री की जानकारी होते ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:51 IST
Reason: SelfAttested

अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने ईकरार के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया है, जबकि ईकरार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के दादा भैरूलाल पर एक झूठा दावा पेश कर दिनांक 31—03—1980 को डिक्री प्राप्त कर ली, जिसे खारिज कराने हेतु अपीलान्ट के दादा भैरूलाल ने सिविल कोर्ट में वाद पेश किया, जिस पर न्यायालय मुन्सिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर शहर उत्तर ने दिनांक 19—03—1984 को स्वीकार कर उप जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 31—03—1980 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी ने पुनः प्रकरण में एकतरफा डिक्री होने से कार्यवाही चाही, जिस पर सुनवाई की जाकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) क्रम संख्या 3, उदयपुर ने दिनांक 18—12—1996 को निर्णय पारित करते हुए उप जिलाधीश के निर्ण को कपट पूर्वक मानकर खारिज कर दिया, जिसकी वादी को जानकारी होते हुए भी तथ्यों को छुपाते हुए पुनः नया दावा पेश कर दिया, जिसे न्यायालय ने समझे बिना स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। [illegible] जमाबंदी में विवादित आराजी नंबर 49

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:51 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.0800 हैक्टर आराजी नंबर 95 रकबा 0.0750 हैक्टर अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सहखातेदारी में दर्ज होकर प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज है, जबकि आराजी नंबर 69 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय में यह अंकित किया कि ''साबिक आराजी नंबर 93 व 108 जिसके हाल आराजी नंबर 95 है एवं साबिक आराजी नंबर 27 जिसके हाल आराजी नंबर 49 है एवं साबिक आराजी नंबर 116 जिसके हाल आराजी नंबर 69 हैं, को जरिये ईकरार दिनांक 20–08–1979 से प्रतिवादीगण के दादा भैरूलाल पिता जोतराम से जरिये ईकरार प्राप्त किया है एवं इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 27 जिसके हाल आराजी नंबर 49 है, को वादी के पिता स्वर्गीय हरिराम द्वारा अपने भाई से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–03–1975 से क्रय किया गया है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर उन्हें विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जबकि ईकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 07–07–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 30–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:51 IST
Reason: SelfAttested